न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 106/2016 आर.सी.एम.एस. संख्या 2016/00158)

राजस्थान सरकार जरिये प्रर्वतन निरीक्षक धौलपुर ———————— प्रार्थी।

बनाम

चोबसिंह मिष्ठान भण्डार, राजाखेडा प्रोपराइटर चोबसिंह पुत्र करनसिंह, निवासी राजाखेडा,जिला धौलपुर————————————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –
प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
अप्रार्थी की ओर से :– श्री मुकेश कमठान अभिभाषक।

निर्णय दिनांक 14.11.2019

निर्णय

अप्रार्थी चोब सिहं ने इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 113/2011 सरकार बनाम चोबसिहं अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 26.3.2012 के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश धौलपुर में प्रस्तुत की। माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 9.9.2016 के द्वारा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.3.2012 को निरस्त करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की है कि उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधि अनुकूल आदेश पारित करें ।

माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्णय दिनांक 9.9.2016 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर दोनों पक्षों को तलव किया गया।

प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी की ओर से श्री मुकेश कमठान अभिभाषक ने वकालतनामा पेश कर

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

उपस्थिति दर्ज कराई । दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रार्थी के अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। अप्रार्थी के अभिभाषक साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहते हैं। वकील अप्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु लगभग 16 अवसर प्रदान किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः दिनांक 26.9.2017 को अप्रार्थी की साक्ष्य बन्द की गई तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दिनांक 15.1.2018 को प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने साक्ष्य कराने एवं पत्रावली पर चोबसिंह व रनवीर के शपथ पत्र पर जिरह करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया इस पर अप्रार्थी के अभिभाषक ने कथन किया प्रार्थी की साक्ष्य पूर्व में ही बन्द हो चुकी है। फिर भी प्रार्थी श्री गुल मौहम्मद कुरैशी तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी की साक्ष्य करना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इस पर प्रार्थी द्वारा श्री गुल मौहम्मद कुरैशी प्रवर्तन अधिकारी के बयान कराये गये तथा अप्रार्थी के अभिभाषक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । अप्रार्थी के अभिभाषक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पुनः कई अवसर दिये गये किन्तु उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई एवं दिनांक 26.2.2019 को अप्रार्थी के अभिभाषक ने साक्ष्य बन्द करने हेतु निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी की साक्ष्य बन्द की गई। तथा पत्रावली पुनः बहस हेतु नियत की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्णय की पालना में अप्रार्थी ने अपने बचाव पक्ष में कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से समौसे बनाने का कार्य किया जा रहा था । घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेन्स एण्ड कन्ट्रोल) आदेश 1990 व द्रवकित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 6 का स्पष्ट उल्लघंन है । क्योंकि अप्रार्थी ने घरेलू गैस से व्यावसायिक उपयोग कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में सृजित उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने बचाव पक्ष में न तो गैस सिलेण्डरों की पासबुक पेश की जिससे यह सावित हो सके कि गैस सिलेण्डर किसके हैं । जहॉ तक अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि जप्त सिलेण्डर उसके घरेलू हैं, सन्देह प्रकट करता है क्योंकि इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी साक्ष्य / सफाई में कोई साक्ष्य या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये । अप्रार्थी ने लिक्यूफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2003 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 (2) में यह प्रावधान है कि " **घरेलू प्रवर्ग उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय 14.2 कि.ग्रा. की धारित वाले सिलेण्डर में किया जाएगा और ऐसे उपभोक्ताओं को जो गैर –घरेलू प्रवर्ग के अधीन आते हैं, 19 कि.ग्रा. की धारित वाले सिलेण्डर में या**

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

ऐसी धारिता वाले सिलेण्डरों में किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर अधिसूचित करे । " ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा दो गैस सिलेण्डर बीपीसीएल को राजसात किया जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। निरीक्षण में मिले दोनों गैस सिलेण्डर घरेलू है, जो अप्रार्थी के घर से जब्त किये गये है। चोबसिंह मिष्ठान भण्डार के नाम से कोई भी प्रतिष्ठान राजाखेडा में नहीं है। अप्रार्थी के भाई के नाम एक घरेलू गैस सिलैण्डर और दूसरा गैस सिलैण्डर अप्रार्थी के विवाहित पुत्र रनवीर के नाम से है। दिनॉक 21.10.2011 को निरीक्षण की कार्यवाही से पूर्व दिनॉक 01.10.2011 को अप्रार्थी की पुत्रवधू भूरीदेवी तथा अप्रार्थी के भतीजे की नाबालिग पुत्री प्रियंका, वार्ड 13 स्थित माता के मठ में पूजा करने गयी थी, जहॉ पर चरनसिंह नाम के अपराधी ने उनके ऊपर पैट्रोल छिडककर आग लगा दी। दौराने इलाज दिनॉक 03.10.2011 को अप्रार्थी की भतीजी की मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात दिनॉक 29.10.2011 को अप्रार्थी की पुत्रवधू भूरीदेवी की भी मृत्यु हो गयी। भूरीदेवी के कियाकर्म व अन्य संस्कारों से निवृत्त होने के पश्चात अप्रार्थी को घर के लोगों से जानकारी मिली, कि दिनॉक 21.10.2011 को मृतका भूरीदेवी के हाल–चाल पूछने के लिये रिश्तेदारान लोग आये थे। उक्त रिश्तेदारान के चाय–नाश्ते हेतु उक्त गैस सिलैण्डर पर नाश्ता बनाया गया था, तथा दूसरा सिलैण्डर घर के अंदर रखा हुआ था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यावसायिक रूप में नहीं लिया जा रहा था । अप्रार्थी कोई मिठाई आदि की दुकानदारी नहीं करता है ना ही अप्रार्थी के पास कोई मिष्ठान भण्डार है। बिला बजह झूँठा आरोप लगाकर अप्रार्थी के दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को जप्त कर लिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे एवं अप्रार्थी जब्तशुदा दो सिलेण्डर को वापिस दिलाया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन कर मनन किया गया। माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्णय की पालना में प्रार्थी के अपने पक्ष में श्री गुल मौहम्मद कुरैशी प्रवर्तन अधिकारी के बयान दर्ज कराये। किन्तु अप्रार्थी के अपने पक्ष में कोई साक्ष्य या दस्तावेज काफी समय दिये जाने के उपरान्त भी नहीं कराये। जो इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि अप्रार्थी के पास अपने बचाव पक्ष में कोई भी मौखिक / दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग करना राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाईसेन्स एण्ड कन्ट्रोल) आदेश 1990 व द्रवकित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है । अप्रार्थी ने घरेलू गैस से व्यावसायिक उपयोग कर

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 में सृजित उपरोक्त आदेशों का उल्लघंन किया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा दो गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल कम्पनी को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय से राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है, तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं । ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं, को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे । गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता । न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी । इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है । परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी, वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा दो गैस सिलेण्डर को नियमानुसार निस्तारण कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भेजें। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(आर. के. जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर